

लोक सभा

पुनरीक्षित कार्य-सूची

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017/22 चैत्र, 1939 (शक)

पूर्वाह्न 11 बजे

प्रश्न

1. अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

2. श्रीमती सुषमा स्वराज सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध कार्यान्वयन नियम, 2016 जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

3. श्री राव इंद्रजीत सिंह निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
(एक) मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) वर्ष 2016 के लिए कैलेंडर वर्ष में सामान्य पूल रिहायशी आवास के प्रत्येक टाइप में आने वाली पांच प्रतिशत रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य पूल रिहायशी आवास से किए गए बिना बारी वैवेकिक आबंटन के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. श्री बंडारू दत्तात्रेय कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 298(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 299(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (3) कर्मचारी पेंशन (सातवां संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 300(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (4) कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) संशोधन स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 301(अ) में प्रकाशित हुई थी।

5. श्री विजय गोयल राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का पहला परिनियम (तीसरा संशोधन), परिनियम 2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

6. श्री धर्मेन्द्र प्रधान आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं० कांआ 753(अ) जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

7. डॉ० जितेन्द्र सिंह केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

8. श्रीमती निर्मला सीतारमण निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगी:—

- (1) (एक) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

9. डॉ० महेश शर्मा निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10. श्री मनोज सिन्हा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एट्रिसेबल सिस्टम्स) के मानक विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-5/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (2) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संबंध (एट्रिसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

11. श्री मुख्तार अब्बास नकवी निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12. श्री संतोष कुमार गंगवार भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

13. श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

14. श्री राजेन गोहेन रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 332(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

15. श्री राधाकृष्णन पी० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 248(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

16. डॉ० संजीव कुमार बालियान निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

17. श्री वाई०एस० चौधरी निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

18. श्री जयंत सिन्हा निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

19. श्री बाबुल सुप्रियो निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं० (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

20. डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:—

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) अधिसूचना सं० सीयूके/एडीएम/कोर्ट-II/2016 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम सं० 10 का संशोधन किया गया है।
- (दो) अधिसूचना सं० सीयूके/रेग./अध्यादेश/सीयूके/2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 4 के बारे में है।
- (तीन) अधिसूचना सं० 20-53/2016-सीयू-III/2016 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 55 के बारे में है।
- (चार) अधिसूचना सं० कश्मीर के०वि०/एडमिन./एफ सं० 385/14/3488 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 10 से 11 के बारे में है।

- (पाँच) अधिसूचना सं० 2-4/2009-एडमिन./7555 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 3, 8 और 10 के बारे में है।
- (12) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
21. श्रीमती कृष्णा राज निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगी:—
- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

राज्य सभा से संदेश

22. महासचिव संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे।

सभा की बैठक से अनुपस्थिति की अनुमति

23. माननीय अध्यक्ष 11 अप्रैल, 2017 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सभा की अनुमति प्राप्त करेंगी।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

24. प्रो० के०वी० थॉमस:

श्री भर्तृहरि महताब '19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010' की विषय पर लोक लेखा समिति (2016-17) का 74वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

25. डॉ० एम० तंबिदुरै:

श्री रत्न लाल कटारिया वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 29वीं से 33वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

26. डॉ० किरिट पी० सोलंकी

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

27. डॉ० शशि थरुर

श्री मोहम्मद सलीम वर्ष 2015-16 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

28. श्री पिनाकी मिश्रा

श्री दिलीप मनसुखलाल गांधी 'संपदा महानिदेशालय का कार्यकरण, सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी द्वारा सरकारी आवासीय भवनों तथा अन्य भवनों का विनिर्माण तथा अनुरक्षण' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

29. श्रीमती सुषमा स्वराज निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देंगी:—

- (1) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

30. श्री राजीव प्रताप रूडी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

31. श्री जयंत सिन्हा नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित भारत में विमानपत्तनों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

32. श्री बाबुल सुप्रियो निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देंगे:—

- (1) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की

मांगों (2015-16) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16)के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17)के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 273वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

33. नियम 377 के अधीन मामले

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

34. श्री अरुण जेटली प्रस्ताव करेंगे कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

कंपनी (संशोधन)
विधेयक, 2016

(अलग सूचियों में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

35. श्री रवि शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

निरसन और संशोधन
विधेयक, 2017

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

नियम 193 के अधीन चर्चा

36. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 30 मार्च, 2017 को सतत विकास लक्ष्य—सभी के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए भावी मार्गोपाय पर उठाई गई चर्चा पर आगे बहस।

नई दिल्ली;
11 अप्रैल, 2017
21 चैत्र, 1939 (शक)

अनूप मिश्र
महासचिव